- **यदि मैं एच.आई.वी. से बाधित व्यक्ति का पति/पत्नी हूँ, जिसकी मृत्यु हो गई हो, तो क्या मुझे उसकी जगह पर नौकरी पाने का अधिकार है ?**

यदि आपका पति/पत्नी किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी में कार्यरत हो और उस कंपनी में अनुकंपा रोज़गार की योजना हो, तो आप परिवार के आश्रित सदस्य के रूप में अनुकंपा रोज़गार आधार पर, नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आप इस कार्य के लिए शारीरिक रूप से चुस्त हों और योजना के अनुसार इस कार्य की योग्यता रखतें हों।

- **क्या एच.आई.वी. से बाधित होने के बावजूद मुझे लाभ पाने का अधिकार है ?**

सभी कर्मचारी, उनकी स्थिति चाहे जो हो, सेवान्त लाभ के अधिकारी होते हैं. आप भी सभी रोज़गार लाभों जैसे पेंशन, प्रॉविडेन्ट फंड और आवास भत्ता के अलावा, पति/पत्नी, बच्चों और/या आश्रितों से संबंधित लाभों के हकदार हैं। बहरहाल, स्वास्थ्य संबंधी लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिल सकते हैं, जिन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या अन्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत अपना बीमा करवाया हो।


**लॉयर्स कलेक्टिव एच.आई.वी./एड्स युनिट, एच.आई.वी. या एड्स से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सलाह और मदद देती है । अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :**

- निचला तल, जलाराम कृपा, ६१, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१.
  दूरभाष : ०२२-२२८७५४८२ / ३, २२८३२७७९ फैक्स : ०२२-२२८२१७२४
  ई-मैल : aidslaw@lawyerscollective.org
- ६३/२, मस्जिद रोड, प्रथम तल, जंगपुरा, नई दिल्ली -१४.
  दूरभाष : ०११-२४३७७१०१/२/२२३७ फैक्स : ०११-२४३७२२३६
  ई-मैल : aidslaw1@lawyerscollective.org
- प्रथम तल, ४ए, एम. ए. हुसैन रोड, ऑफ पार्क रोड, टस्कर टाऊन, शिवाजी नगर, बैंगलोर-५६० ०५१
  दूरभाष : ०८०-४१२३९१३० / १ फैक्स : ०८०-४१२३९२८९
  ई-मैल : aidslaw2@lawyerscollective.org

वेबसाईट : www.lawyerscollective.org


# क्या आप एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित है ?

# जानिए अपने अधिकार

# रोज़गार

- **अगर मैं एच.आई.वी. से बाधित हूँ तो क्या मुझे नौकरी नहीं मिलेगी या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा ?**

बिल्कुल नहीं. अगर आप शारीरिक और मानसिक तौर पर अपना काम कर सकते हैं, पूरी तरह योग्य हैं और आपके साथ काम करने वालों के लिए किसी तरह का जोखिम नहीं पैदा करते है। तो सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियों के मालिक आपको सिर्फ इसलिए नौकरी देने से इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि आप एच.आई.वी. बाधित हैं।

मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा MX v ZY में इस तरह के प्रस्ताव को कानूनी मान्यता दी गई है। यहीं नहीं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भी यह आपका बुनियादी अधिकार है कि आप काम कर सकते हैं। काम की जगह पर आपके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और अपनी आजीविका कमाना भी आपका मूलभूत कानूनी अधिकार है।

इसी तरह, एच.आई.वी. बाधित होनेपर कानूनन कोई भी आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता, बशर्ते आप अपना काम करने में समर्थ हों और आपके साथी कर्मचारीयों को आपसे किसी तरह का जोखिम न हो।

- **अपनी एच.आई.वी. से बाधित होने की स्थिति के परिणामस्वरूप यदि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए तो मुझे क्या करना चाहिए ?**

पहले तो आपकी एच.आई.वी. से बाधित होने की स्थिति के कारण आपको कोई भी नौकरी से नहीं निकाल सकता. बहरहाल, ऐसा हो तो कुछ स्थिति के आधार पर, कानून के अंतर्गत अलग-अलग उपाय मौजूद हैं। जैसे आप अपनी बहाली और अपने पिछले वेतन को पाने के लिए कामगार या औद्योगिक न्यायालय में जा सकते हैं। या फिर मुआवज़े के लिए दीवानी न्यायालय या यदि आप सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी में काम करते हैं तो आप अपनी बर्खास्तगी को अपने बुनियादी और/या कानूनी अधिकार का उल्लंघन साबित करके, उच्च न्यायालय में अपना अधिकार वापस लेने का दावा कर सकते हैं।

- **अगर मेरी बीमारी के कारण, मैं अपने काम की ज़िम्मेदारी ठीक से न निभा पाऊं तो क्या इसी कंपनी में मुझे किसी और विभाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है ?**

अगर आप अपनी बिमारी के कारण अपना मौजूदा काम ठीक से न कर पाएं तो हो सकता है आपको किसी और काम की ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन शर्त यह होगी कि ऐसा करने से आपके मालिक पर कोई अतिरिक्त आर्थिक या प्रशासनिक बोझ न पड़े।

- **क्या भर्ती के समय या नौकरी के दौरान चिकित्सकीय परीक्षण के ही एक भाग के रूप में ज़बरदस्ती मेरा मालिक मेरा एच.आई.वी. परीक्षण करवा सकता है ?**

नहीं. क्योंकि शारीरिक परीक्षण केवल यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति नौकरी के दौरान किसी ख़ास काम की जिम्मेदारी निभा पाएगा या नहीं। किसी भी व्यक्ति के हृदय, आँखों, श्वास क्रिया आदि का परीक्षण करके उस व्यक्ति की काम करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। लेकिन एच.आई.वी. परीक्षण से किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता का कोई संकेत नहीं मिलता।

सरकारी परीक्षण नीति में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है की नौकरी की पूर्व शर्त या नौकरी के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने या कार्यक्षमता का निर्धारण करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से एच.आई.वी. परीक्षण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

एच.आई.वी. परीक्षण, दरअसल स्वास्थ्य परीक्षण का ऐच्छिक हिस्सा है और कर्मचारी की स्वीकृति के बिना इसे नहीं किया जा सकता।

बहरहाल, ऊपर दी गई शर्तें निजी कंपनी के मालिकों पर लागू नहीं होगी।

- **क्या मुझे अपने मालिक को अपने एच.आई.वी. से बाधित होने की स्थिति के बारे में बताना चाहिए ?**

नहीं। जब तक कानूनी रूप से अनिवार्य न हो आप अपनी एच.आई.वी. से बाधित होने की स्थिति के विषय में अपने मालिक को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं हैं। क्योंकि आपकी यह स्थिति आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती या कार्य करने की क्षमता को निर्धारित करने में कोई भी भूमिका नहीं निभाती।

- **क्या डॉक्टर मेरी एच.आई.वी. से बाधित होने की स्थिति के बारे में मेरे मालिक को सूचित कर सकता है ?**

किसी भी डॉक्टर की यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वह अपने मरीज़ की स्थिति को पूरी तरह गुप्त रखे। बहरहाल, यदि कर्मचारी की सहमति हो तो डॉक्टर बता सकता है, फिर चाहे मौखिक या अप्रत्यक्ष रूप से, इस तरह, उसके गोपनीयता के अधिकार का हनन कर सकता है।